



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]
No. 139]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 206(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षा अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 29 मार्च, 2005 में भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 193(अ) तारीख 29 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, दो दिन की अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 30 मार्च, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियम पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 124क के उप नियम (2) के परन्तुक में "1 अप्रैल, 2005" शब्द और अंक के स्थान पर "1 अक्टूबर, 2005" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

[फा. सं. आरटी-11011/9/2004-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 200 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2005 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 206(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th March, 2005 *vide* notification of Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and highways), number G.S.R. 193 (E) dated the 29th March, 2005, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of two days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette of India were made available to the public on the 30th March, 2005;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of Section 110 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 124A, in sub-rule (2), in the proviso, for the words and figures “1st April, 2005”, the words and figures “1st October, 2005” shall be substituted.

[F. No. RT-11011/9/2004-MVL]

ALOKRAWAT Jt. Secy.

Note :—The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 590 (E), dated 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 200 (E), dated 1st April, 2005.